



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1948 (श0)
(सं0 पटना 1075) पटना, बृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

3 सितम्बर 2026

एस0ओ0 210, दिनांक 3 सितम्बर 2026— औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 83 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ कामगार पुनर्कोशल निधि नामक एक निधि की स्थापना करते हैं।

(सं० 01/IRC-10-02/2026-216 / अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

3 सितम्बर 2026

एस0ओ0 211-एस0ओ0 210, दिनांक 3 सितम्बर 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/IRC-10-02/2026-217 / अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 3rd September 2026

S.O. 210, dated 3rd September 2026— In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 83 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to set up a fund to be called the Worker Re-Skilling Fund for the purpose of the said code.

(No. 01/IRC-10-02/2026–216/ L.R.)

By the Order of the Governor of Bihar,

UPENDRA PRASAD,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1075-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>